(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–1, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 72 (आर0ई0–2013)/2009–2014</u>
दिनांकः 7 नवम्बर, 2014

विषयः <u>बांग्लादेश और भारत के बीच त्रिपुरा बॉर्डर पर बॉर्डर हाटों में व्यापार।</u>

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.13 के साथ पठित पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन निम्नलिखित व्यवस्था करते हैंः

1. विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, पूर्बो मध्यग्राम (भारत) और छोईघोरिया (बांग्लादेश) के बीच श्रीनगर, त्रिपुरा के बॉर्डर हाटों में निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी जाएगीः

i स्थानीय रूप से पैदा की जाने वाली सब्जियां, खाद्य सामग्रियां, फल, मसाले;
ii लघु स्थानीय वन्य उत्पाद उदाहरणतया बांस, बैम्बू ग्रास और इमारती लकड़ी को छोड़कर झाडू;
iii गमछा, लुंगी आदि जैसे स्थानीय उद्योग के उत्पाद;
iv छोटे स्थानीय रूप से उत्पन्न कृषिगत घरेलू उपकरण जैसे डाऊ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि;
v स्थानीय रूप से बनाए गए वस्त्र, मैलामाइन उत्पाद, संसाधित खाद्य सामग्री, फलों का रस आदि।

2. उपरोक्त में स्थानीय रूप से तैयार का आशय 'नामित हाट के संबंधित बॉर्डर जिलों के उत्पाद' से है। उपरोक्त मद सूची में आने वाली विशिष्ट वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संचालन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुच्छेद–1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा।

3. वेंडर्स जिन्हें बॉर्डर हाटों में अपना उत्पाद बेचने के लिए अनुमत किया जाता है, बॉर्डर हाट से पांच (5) किमी. की परिधि के भीतर के क्षेत्र के होंगे। वेंडीज स्नैक खाद्य/रसों के तत्काल उपभोज्य मदों को बेच सकते हैं जैसाकि हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत होगा।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>
इससे भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 को हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को संचालित किया जाता है तथा श्रीनगर, त्रिपुरा (भारत) में नए बॉर्डर हाट के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार को सुगम बनाया जाता है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/11/एएम12/पीसी-2 (ख) से जारी)